<u>RTGS/NEFT **से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न** (FAQs)</u>

1. RTGS **भुगतान में लाभार्थी को राशि का श्रेय (क्रेडिट) कब प्राप्त होता है**?

   सामान्य परिस्थितियों में, जैसे ही प्रेषक बैंक द्वारा धनराशि ट्रांसफर की जाती है, लाभार्थी बैंक शाखा को राशि **रियल टाइम** में प्राप्त हो जाती है। लाभार्थी बैंक को धनराशि प्राप्त होने के 30 मिनट के भीतर लाभार्थी के खाते में **क्रेडिट** करनी होती है।

2. **NEFT भुगतान में लाभार्थी को राशि का श्रेय (क्रेडिट) कब प्राप्त होता है?**
   NEFT पूरे दिन में आधे-आधे घंटे के अंतराल में बैचों में संचालित होता है। वर्तमान में, छुट्टियों सहित सभी दिनों में कुल 48 सेटलमेंट्स होते हैं। इसलिए, लाभार्थी को सामान्यतः **2 घंटे के भीतर राशि का श्रेय (क्रेडिट)** मिलने की अपेक्षा की जा सकती है।

3. **यदि RTGS लेनदेन लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं होता है, तो क्या प्रेषक को राशि वापस मिलती है?**

   हाँ। यदि किसी कारणवश लाभार्थी का बैंक लाभार्थी के खाते में राशि क्रेडिट करने में असमर्थ होता है, तो वह राशि को प्रेषक बैंक को वापस कर देता है। जैसे ही प्रेषक बैंक को वह राशि प्राप्त होती है, उसे प्रेषक के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

4. **यदि NEFT लेनदेन लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं होता है, तो क्या प्रेषक को राशि वापस मिलती है?**

   हाँ। यदि किसी कारणवश लाभार्थी का बैंक लाभार्थी के खाते में राशि क्रेडिट करने में असमर्थ होता है, तो वह राशि प्रेषक बैंक को वापस कर देता है। जैसे ही प्रेषक बैंक को वह राशि प्राप्त होती है, उसे प्रेषक के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।

5. **दिन/सप्ताह के किस समय पर RTGS और NEFT सेवाएं उपलब्ध होती हैं?**

   RTGS और NEFT लेनदेन निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार RBI को भेजे जाते हैं:

दिन	उपलब्धता
सभी दिन	24 x 7

RBI NEFT **लेन-देन बैचों में निम्नलिखित समयानुसार निपटाए जाते हैं**:
NEFT: सभी दिनों (अवकाश सहित) में 48 बार निपटान किए जाते हैं, जिसमें पहली बैच रात 00:30 बजे के बाद शुरू होती है और अंतिम बैच रात 00:00 बजे समाप्त होती है।
RTGS: RTGS लेन-देन वास्तविक समय (रीयल टाइम) पर निपटाए जाते हैं।

**कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त सभी समय केवल भारतीय मानक समय (IST) पर आधारित हैं।

1. RTGS **और** NEFT **भुगतान करने के लिए आवश्यक अनिवार्य जानकारी इस प्रकार है**:

RTGS/NEFT प्रेषण करने के लिए प्रेषक को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होती है:

1. प्रेषित की जाने वाली राशि
2. लाभार्थी बैंक और शाखा का नाम
3. वह खाता संख्या जिससे प्रेषक का खाता डेबिट किया जाएगा

4. लाभार्थी बैंक का नाम

5. लाभार्थी का नाम

6. लाभार्थी की खाता संख्या

7. प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक की कोई विशेष जानकारी (यदि हो)

8. लाभार्थी बैंक शाखा का IFSC कोड

2. NEFT/RTGS **लेन-देन में लाभार्थी के खाते में राशि जमा न होने या विलंब होने की स्थिति में आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं**:

प्रेषक के लिए: यदि NEFT/RTGS लेन-देन में देरी होती है, तो प्रेषक अपने बैंक/शाखा या बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है। यह संपर्क किए गए लेन-देन के लिए प्रदान किए गए **UTR नंबर** के आधार पर किया जा सकता है।

लाभार्थी के लिए: यदि NEFT/RTGS लेन-देन में देरी होती है, तो लाभार्थी अपने बैंक/शाखा या बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क कर सकता है, जहाँ धनराशि जमा की जानी चाहिए। यह संपर्क उस लेन-देन के लिए प्रेषक द्वारा साझा किए गए **UTR नंबर** के आधार पर किया जा सकता है।